भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : **2641**
गुरुवार, 16 मार्च, 2023 / 25 फाल्गुन, 1944 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

विमानन क्षेत्र में कौशल विकास

2641. श्री जी. एम. सिद्देश्वर:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विमानन क्षेत्र में भारी वृद्धि के कारण विमानन उद्योग में कुशल जनशक्ति और इष्टतम प्रौद्योगिकी जैसे पायलटों, प्रशिक्षकों, हवाई यातायात नियंत्रकों, इष्टतम से कम बेड़े आदि की कमी हो रही है:

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा कौशल विकास को बढ़ाने और इस क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी को अनुमति देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है: और

(ग) क्या सरकार ने पायलट प्रशिक्षुओं को सहायता प्रदान करने के लिए किसी विशेष योजना की घोषणा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) से (ग) सामान्य तौर पर, देश में नागर विमानन क्षेत्र में कुशल जनशक्ति और इष्टतम प्रौद्योगिकी की कोई कमी नहीं है। हालाँकि, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) में विमान यातायात नियंत्रण अधिकारियों (एटीसीओ) की आवश्यकता बढ़ी है। इसे पूरा करने के लिए वर्ष 2022 में ई2 - ई6 स्तर के लिए एटीसीओ के 340 पद सृजित किए गए हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के नियंत्रण में हवाई यातायात प्रबंधन (एटीएम) कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए तीन विमान यातायात सेवा प्रशिक्षण संगठन (एटीएसटीओ) नामत: (i) सीएटीसी, प्रयागराज (यूपी) (ii) एचटीसी, हैदराबाद (तेलंगाना) (iii) एनआईएटीएएम, गोंदिया (महाराष्ट्र) हैं, जिन्हें नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया है।
भारत सरकार द्वारा नागर विमानन सेक्टर में कौशल विकास के लिए की गई अन्य पहलों में निम्नलिखित शामिल है:

(i) देश में प्रशिक्षित पायलटों की संख्या में संवर्धन के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने उदारीकृत उड़ान प्रशिक्षण संगठन (एफटीओ) की नीति तैयार की है, जिसमें हवाईअड्डा रॉयल्टी (एफटीओ द्वारा भाविप्रा को राजस्व भाग का भुगतान करना) की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया है तथा भूमि किरायों को युक्तियुक्त बनाया गया है।

(ii) वर्ष 2021 में, प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के पश्चात, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा बेलगावी (कर्नाटक), जलगांव (महाराष्ट्र), कालबुर्गी (कर्नाटक), खजुराहो (मध्य प्रदेश) तथा लीलाबारी (असम) में स्थित पांच हवाईअड्डों को नौ एफटीओ स्लॉट्स आबंटित किए गए थे। जून, 2022 में बोली के दूसरे चरण के अंतर्गत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने भावनगर (गुजरात) के लिए दो स्लॉट तथा हुबली (कर्नाटक), कडप्पा (आंध्र प्रदेश), किशनगढ़ (राजस्थान) एवं सालेम (तमिलनाडु) के लिए एक स्लॉट प्रत्येक सहित पांच हवाईअड्डों को छह एफटीओ स्लॉट आबंटित किए थे।

(iii) नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा नवम्बर, 2021 से विमान अनुरक्षण इंजीनियर (एएमई) तथा उड़ान कर्मी (एफसी) के उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन ऑन-डिमांड परीक्षा (ओएलओडीई) की शुरूआत की गई है। इस सुविधा के उपयोग से उम्मीदवार उपलब्ध परीक्षा स्लॉट्स में से तिथि एवं समय का चयन कर सकते हैं।

(iv) नागर विमानन महानिदेशालय ने अपने विनियमों में संशोधन करके उड़ान अनुदेशकों को एफटीओ पर उड़ान प्रचालनों का अधिकार प्रदान किया है। अब तक यह अधिकार केवल मुख्य उड़ान अनुदेशक (सीएफआई) अथवा उप मुख्य उड़ान अनुदेशक को ही प्राप्त थे।

(v) नागर विमानन महानिदेशालय, ड्रोन नियमावली, 2021 के अंतर्गत ड्रोन प्रशिक्षण विद्यालयों का अनुमोदन करता है। इन नियमों के अन्तर्गत देश में अब तक 48 ड्रोन प्रशिक्षण विद्यालयों को ड्रोन प्रशिक्षण / कौशल प्रदान करने के लिए अनुमोदित किया गया है। इन प्रशिक्षण विद्यालयों से अब तक 3340 ड्रोन पायलट प्रमाणित हुए हैं।

(vi) डीजीसीए ने विमानन उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने और विश्वभर में कुशल जनशक्ति के लिए नौकरी के अधिक अवसर उपलबध कराने के लिए सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय पद्धतियों और अधिक व्यावहारिक प्रशिक्षण के सामंजस्य के लिए विमान अनुरक्षण प्रशिक्षण संगठनों के अनुमोदन के लिए सीएआर -147 (बेसिक) को पहले ही लागू कर दिया है। वर्तमान में, भारत में सीएआर - 147 (बेसिक) के तहत डीजीसीए अनुमोदित 53 एएमई प्रशिक्षण संस्थान हैं और भारत में सीएआर-147 के तहत 15 टाइप रेटेड प्रशिक्षण संगठन हैं, जो भारतीय नागर विमानन क्षेत्र के लिए कुशल जनशक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं।

(vii) इसके अलावा, भारत में डीजीसीए द्वारा अनुमोदित 35 उड़ान प्रशिक्षण संगठन (एफटीओ) हैं, जो 53 बेस पर काम कर रहे हैं और कैडेटों को कमर्शियल पायलट लाइसेंस जारी कर रहे हैं।

(viii) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने राष्ट्रीय कौशल विकास केन्द्र (एनएसडीसी) तथा एयरोस्पेस एंड एविएशन सेक्टर स्किल काउंसिल (एएएसएससी) के सहयोग से विमानन सेक्टर में कौशल प्राप्त जनशक्ति की उपलब्धता में संवर्धन के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के लिए क्रमश: चंडीगढ़ एवं मुम्बई में विमानन कौशल केन्द्रों की स्थापना की गई थी

(ix) डीजीसीए द्वारा अनुमोदित 07 स्वीकृत प्रशिक्षण संगठन (एटीओ) हैं, जो भारत में विशिष्ट प्रकार के विमान प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।;

(x) एयरोस्पेस और एविएशन सेक्टर स्किल काउंसिल (एएएसएससी) से मान्यता प्राप्त 30 निजी विमानन प्रशिक्षण केंद्र हैं।

******